न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 20/2020

गुरूद्वारा श्री गुरू सिंह सभा 4 एल एन पी श्री गंगानगर अध्यक्ष गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी सुरेन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 4 एल एन पी तह० व जिला श्री गंगानगर

– – **प्रार्थी**

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर ।

–– **अप्रार्थी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री दरबार सिंह बराड़ – – प्रार्थी
2. पैरोकार राज – – अप्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–07.11.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त कि अनवानी दावा अन्तर्गत धारा 88,91,188,92ए,209 आर टी एक्ट का श्रीमान् न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जिसमें अंकित समस्त तथ्यों को इस प्रार्थना पत्र के तथ्यों के रूप में पढा जावें, जिससे तथ्यों की पुनरावृति ना हो सके । वाद पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रार्थी के शपथ पत्र से तीनों बिन्दुः– 1. प्रथम दृष्टया मामला, 2. सुविधा का संतुलन, 3. अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के हक में साबित है, अतः ता फैंसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायहित में आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा गांवो की स्थापना पर प्रत्येक चक में एक मुरब्बा माफी कोटवाल, माफी नाई, माफी गुरूद्वारा/मन्दिर, माफी कारीगर के लिए रिजर्व किया गया तथा गांव आबाद होने पर गांव के विकास व लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर इस माफी का प्रावधान बनाया गया, इसी क्रम में चक 4 एल एन पी में भी एक मुरब्बा भूमि ना होने के कारण अलग अलग मुरब्बों में बतौर माफी कोटवाल, माफी नाई, माफी गुरूद्वारा व माफी कारीगर के आरक्षित कर प्रदान की गई । चक 4 एल एन पी के खाता सं० 6/7, मु0 न0 15 का किला न0 7,8,9,10 सालम सालम व किला न० 11 का 0.151 है० अर्थात् 4 बीघा 12 बिस्वा माफी गुरूद्वारा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी 2015–18 में दर्ज किया गया, इसी जमाबंदी में माफी कारीगर आदि भी दर्ज है, जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है । बाद में इन माफी कोटवाल, नाई आदि की आवश्यकताएं नहीं रहने के कारण प्रत्येक चक में बतौर माफी दी गई भूमि की खातेदारी भी जारी की गई। चक 4 एल एन पी के गुरूद्वारा की माफी की उपरोक्त भूमि बंदोबस्त रिकॉर्ड में गलती से सिवाय

Scanned with OKEN Scanner

चक काबिल काश्त दर्ज कर दी गई, बंदोबस्त समाप्त होने के कारण समस्त अधिकार उपखण्ड अधिकारियों में निहित हो गए, प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि को हर वर्ष बोली आदि द्वारा देकर काश्त करवाकर इस माफी रकबा की आय से गुरूद्वारा का विकास कार्य करवाया जाता रहा । माफी कारीगर के रकबा की खातेदारी होने के बाद रकबा का विक्रय कमलजीत कौर को किया गया, जिसकी जमाबंदी की नकल शामिल है मगर माफी गुरूद्वारा का रकबा सिवाय चक काबिल काश्त गलत तौर से दर्ज हो जाने के कारण आज भी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज चला आ रहा है, जमाबंदी संवत् 2074–76 की नकल शामिल है। कालांतर में गुरूद्वारा कमेटी का गठन ना होने के कारण गांव के कुछ लोग भी मिलकर गुरूद्वारा की भूमि का संभाल का कार्य करते रहे, दिनांक 24.04.18 को गुरुद्वारा कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह को बनाया गया, कमेटी गठन की प्रति शामिल है। इस प्रकार वर्ष 2019–20 में जेलदार को बोली पर देकर भूमि काश्त करवायी गई, वर्तमान में मलकीतराम पुत्र सोहनलाल को देकर भूमि काश्त करवायी जा रही है, कब्जा गुरूद्वारा का चला आ रहा है, बोली से काश्त करवाने की नकलें शामिल है। प्रार्थी को अब पता चला है कि अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त रकबा माफी गुरूद्वारा जो भूप्रबंध के समय सहवन से सिवाय चक दर्ज हो गया व वर्तमान में राज्य सरकार दर्ज है के कारण रकबा के सम्बंध में बेदखली आदि की कार्यवाही की जा रही है। यह भी पता चला है। किसी सोहनलाल के नाम से कोई कार्यवाही भी की गई है जबकि किसी सोहनलाल का ना कभी कब्जा रहा है, ना ही आज कब्जा है बल्कि कब्जा वादी का ही चला आ रहा है, जिस प्रकार 1993 में माफीदारों की आवश्यकता ना रह जाने के कारण अर्थात उनकी सेवा की आवश्यकता ना रहने के कारण खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इस प्रकार उपरोक्त भूमि प्रार्थी अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है, जिससे कि भविष्य में गुरूद्वारा का विकास निरंतर हो सके व धार्मिक जनता को भी लाभ पहुँच सके, इसके लिए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से बार बार आग्रह किया कि वह उपरोक्त भूमि को प्रार्थी की खातेदारी मानकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे क्योकि लैण्ड होल्डर तहसीलदार होने के कारण नम्र निवेदन किया गया मगर अप्रार्थी ने कल रोज स्पष्ट कहा है कि वह तो इस रकबा से बेदखल करेगें, यदि प्रार्थी को उपरोक्त रकबा से इस प्रकार बेदखल कर दिया गया तो उसको ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, दावा का मकसद समाप्त होगा तथा मौके पर कभी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करके अर्ज है कि ता फैंसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावें कि चक 4 एल एन पी तह0 श्री गंगानगर के पूर्व खाता सं0 6/7, वर्तमान खाता सं0 1/1, मु0 न0 15 के किला न0 7,8,9,10 सालम सालम, किला न0 11 का 0.151 है०, कुल 1. 163 है0 के प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मदाखलत करने, जबरन बेदखल करने व प्रार्थी को रहे। इसके उपयोग उपभोग से वंचित करने से बाज व ममनु रहे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में स्टेट जवाब पेश किया गया।

विद्वान अभिभाषक एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि चक 4 एल एन पी तह0 श्री गंगानगर के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

पूर्व खाता सं0 6/7, वर्तमान खाता सं0 1/1, मु0 न0 15 के किला न0 7,8,9,10 सालम सालम, किला न0 11 का 0.151 है०, कुल 1.163 है0 के प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मदाखलत करने, जबरन बेदखल करने व प्रार्थी को रहे। इसके उपयोग उपभोग से वंचित करने से बाज व ममनु रहे। पैरोकार राज द्वारा जवाब बहस में प्रकरण में जारी स्थगन का विरोध करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा खाता सं0 1/1, मु0 न0 15 के किला न0 7,8,9,10 सालम सालम, किला न0 11 का 0.151 है०, कुल 1.163 है0 पर स्थगन चाहा गया है। उक्त खाता 1/1 राज्य सरकार का रकबा है जिसके किसी प्रकार से खुर्द बुर्द होने की संभावना प्रतीत नहीं है। प्रार्थी के वाद में वर्णित अभिलिखित अभिवचनो एवं जमाबंदी दस्तावेजात के आधार पर वाद का निर्णय किया जाना है। राज्य पक्ष की भूमि पर स्थगन जारी किया जाना न्यायिक दृष्ट से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिंनाक 07.11.2025 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner